भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1186
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के जजों की पदोन्नति

1186. श्री मनीश तिवारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, ने सर्वसम्मति से 17/10/2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से पांच वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा को सिफारिश के बावजूद नियुक्त नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या न्यायमूर्ति कौल और धूलिया के नेतृत्व वाली पीठ ने 20/11/2023 को सरकार की कार्रवाई के संबंध में चिंता व्यक्त की थी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हां । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों/इनपुटों के आलोक में विचार किया जाना होता है जो विचाराधीन नामों के संबंध में उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध हो । सरकार, नियुक्ति प्रक्रिया में अनिवार्य परामर्शदाता होने के नाते प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों/इनपुटों के आलोक में जो सरकार की राय में कॉलेजियम द्वारा और विचार करने का अधिदेश करते हैं, ऐसे प्रस्तावों पर पुनर्विचार के लिए एससीसी को भेज सकती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई है ।

उच्चतम न्यायालय तारीख 6.10.1993 के अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकार्ड बनाम भारत संघ (दूसरा न्यायाधीश मामला) में अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षित किया कि योग्यता चयन न्यायिक चयन के लिए प्रधान विधि है और चयन किए जाने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदारी कौशल, ऊंचे स्तर की भावनात्मक स्थिरता, सुदृढ़ता, स्थिरता, विधिक ज्ञान, योग्यता और सक्षमता रखते हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनो स्तरों पर संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है । सरकार इस सहयोगकारी प्रक्रिया के आधार पर एससीसी द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी राय दे सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के सम्मानित पद पर सबसे उपयुक्त और मेधावी अभ्यर्थी की नियुक्ति हो ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय ने तारीख 20.11.2023 के अपने आदेश में नियुक्तियों और स्थानांतरण की प्रक्रिया में की गई प्रगति को नोट करते हुए और सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों की सराहना करते हुए एक विशेष मामले में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण भी किए हैं ।

****